

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 516] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 3, 1979/अग्रहायण 12, 1901
No. 516] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 3, 1979/AGRAHAYANA 12, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1979

का. आ. 782(अ).—उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,
1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत
सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के का.आ.सं. 590(अ)

दिनांक 9 अक्टूबर, 1978 भारत सरकार के आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

इस आदेश के चतुर्थ पैराग्राफ में “सदस्यों” शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 4 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित नाम निर्दिष्ट किया जाएगा :—

“श्री एस. सी. बनसाली,
प्रबन्धक,
भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम,
चटर्जी इन्टरनेशनल सेंटर,
33-ए, चौरंगी रोड,
कलकत्ता-71।”

[फा. सं. 3/4/76-सी.यू.सी.]

बी. राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 3rd December, 1979

S.O. 782(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 590(E), dated the 9th October, 1978 namely :—

In the said Order, in the fourth paragraph, under the heading “Members”, for the entry against Serial number 4, following shall be substituted namely :—

“Shri S. C. Bhansali,
Manager,
Industrial Finance Corporation of India,
Chatterjee International Centre,
33-A, Chowringhee Road,
Calcutta-71.”

[F. No. 3/4/76-Cuc]

B. ROY, Jt. Secy.